



आदेश

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन देकर बताया कि माननीय न्यायालय मुंसफ, कोडरमा में सम्बन्धित भूमि को लेकर पक्षकारों के बीच स्वत्व वाद चला जिसका T.S. 23/13 है। जिसमें पक्षकारों के बीच सुलह हो गया एवं सुलह के आधार पर मुकदमा का निष्पादन हो गया। पक्षकारों के बीच सम्बन्धित भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं रहा क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने दावा के अनुसार दखलकार है। इन्होंने वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया है।

अतः प्रथम पक्ष के आवेदन एवं इनके विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
30/5/17  
भूमि सुधार उपसमाहती,  
कोडरमा।

  
30/5/17  
भूमि सुधार उपसमाहती,  
कोडरमा।

3.17